संख्या-1/2025/94-1-2025/001-**1887**

प्रेषक,

आशीष कुमार
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्ययक अनुदान संख्या 091, 2030-स्टाम्प पंजीकरण आयोजनेत्तर, 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर, 102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय, 03 गैर अदालती स्टाम्प, 42-अन्य व्यय में अतिरिक्त धनराशि रु० 5500 लाख (रुपये पचपन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1663/स्टाम्प-अनुपूरक बजट/2024 दिनांक 28.10.2024 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्ययक अनुदान संख्या 091, 2030-स्टाम्प पंजीकरण आयोजनेत्तर, 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर, 102 स्टाम्पों की विक्री पर व्यय, 03 गैर अदालती स्टाम्प, 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू० 5500 लाख (रुपये पचपन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. उक्त धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी जिस मद हेतु स्वीकृति की जा रही है।
2. उक्त धनराशि दिनांक 31.03.2025 के वास्तविक उपयोग की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित अन्य दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में वित्त आय व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024, संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 तथा उसके क्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-7/2023/बी-1-479/दस-2023-231/2023, दिनांक 01.08.2023 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023, शासनादेश संख्या-39/2023/बी-2-755/दस-2023-244/2023, दिनांक 07.12.2023 एवं शासनादेश संख्या-35/2024/बी-2-768/दस-2024-244/2024(II), दिनांक 27-12-2024 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 55,00,00,000 (रुपये पचपन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 091 **लेखा शीर्षक** 2030021020300 गैर अदालती स्टाम्प- **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-1/2025/94-1-2025/001-**1887(1), तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० प्रयागराज।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।